भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3754
उत्तर देने की तारीख : 12.08.2025

अत्याचार निवारण अधिनियम को सुदृढ़ करने के लिए संशोधन

3754. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए, आरोप-पत्र दाखिल किए गए और दोषसिद्ध मामलों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार के मामलों में समय पर जांच, आरोप-पत्र दाखिल करने और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो जांच और विचारण में लगने वाले औसत समय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को हाल के वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए कोई अभ्यावेदन अथवा सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) क्या सरकार इस अधिनियम को और सुदृढ़ बनाने अथवा इसके प्रवर्तन में कमियों को दूर करने के लिए किसी संशोधन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पूरे भारत में लागू है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 के दौरान इस अधिनियम के तहत देश भर में दर्ज मामलों, दाखिल आरोप-पत्र और दोषसिद्धि की संख्या का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 को और अधिक प्रभावी बनाने और अत्याचार पीड़ितों को और अधिक न्याय दिलाने और उनके साथ हुए अन्याय के निवारण के लिए, अधिनियम को 2016 में संशोधित और अधिसूचित किया गया था। संशोधन में नए अपराध, अनुमानों का विस्तारित दायरा, संस्थागत मजबूती शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विशेष न्यायालयों की स्थापना और पीओए अधिनियम के तहत अपराधों की विशेष रूप से सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजकों की विशिष्टता शामिल है ताकि मामलों का शीघ्र निपटान हो सके, विशेष और अनन्य विशेष न्यायालयों को अपराधों का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति और जहां तक संभव हो, आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीने के भीतर सुनवाई पूरी हो सके, पीड़ितों और गवाहों के अधिकार स्थापित हो सके और निवारक उपायों को मजबूत किया जा सके। त्वरित सुनवाई और त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 145 विशेष पुलिस स्टेशन और 211 अनन्य विशिष्ट न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के माध्यम से अधिनियम की धारा 18 में संशोधन किया गया और इसका 20.08.2018 से प्रवर्तन किया गया। इस संशोधन के बाद, अब प्राथमिकी(एफआईआर) दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने या किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले किसी प्राधिकारी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

केंद्रीय स्तर पर भी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री सह-अध्यक्ष हैं, और जिसमें गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य और तीन गैर-सरकारी सदस्य (दो अनुसूचित जाति से और एक अनुसूचित जनजाति से) शामिल हैं, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पीसीआर और पीओए अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है। समिति ने अब तक अट्ठाईस बैठकें की हैं; अंतिम बैठक 23.05.2025 को हुई थी।

उपर्युक्त केंद्र स्तरीय समिति के अलावा, राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति, जिला और सब-डिविजनल स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियां भी अधिनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्थापित की गई हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 6 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो, अत्याचार स्थल का दौरा करेगा, स्थिति का आकलन करेगा और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, वे पीड़ितों और उनके आश्रितों की पहचान करने, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने, पुलिस सुरक्षा का आदेश देने और तत्काल राहत प्रदान करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(ङ) और (च): जी हाँ, विभाग को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन हेतु आम जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। हाल ही में, भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और आईईए के स्थान पर बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए लागू होने के बाद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग ने आवेदकों को सूचित किया है कि विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2790 (ई) दिनांक 16 जुलाई, 2024 के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में उक्त संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(छ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संलग्नक-I

वर्ष 2020-2022 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम (आईपीसी के साथ और बिना) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकृत मामले (सीआर), आरोप पत्र दाखिल वाले मामले (सीसीएस) और दोषसिद्ध मामले (सीओएन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति									अनुसूचित जनजाति								
		2020			2021			2022			2020			2021			2022		
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीआर	सीसीएस	सीओएन	सीआर	सीसीएस	सीओएन
1	आंध्र प्रदेश	1948	1613	37	2010	1913	19	2315	1571	42	320	234	1	361	346	3	396	280	2
2	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	असम	28	3	0	13	3	0	14	3	0	10	0	0	16	9	0	9	7	1
4	बिहार	7368	5453	12	5842	4588	48	6509	5135	146	94	75	0	103	66	4	146	102	1
5	छत्तीसगढ	316	280	23	330	337	20	323	358	253	502	462	47	506	512	27	516	546	200
6	गोवा	2	1	0	4	3	0	8	7	0	2	2	0	5	4	0	1	1	1
7	गुजरात	1326	1203	3	1201	1144	8	1279	1182	12	291	253	1	341	328	0	330	286	6
8	हरियाणा	1210	632	6	1628	738	44	1633	744	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	247	183	1	243	143	2	209	148	5	3	1	0	7	6	0	4	4	0
10	झारखंड	666	292	14	546	460	28	674	318	28	347	86	8	250	144	17	283	121	21
11	कर्नाटक	1394	1205	17	1673	1556	10	1972	1634	15	291	261	1	358	342	0	438	341	3
12	केरल	846	655	7	948	1111	42	1050	957	50	130	109	7	133	112	9	172	174	11
13	मध्य प्रदेश	6899	6718	538	7213	7236	720	7733	7588	902	2401	2362	151	2627	2547	336	2979	2913	417
14	महाराष्ट्र	2569	2132	39	2503	2357	45	2741	2371	89	663	633	12	628	557	12	742	591	25
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	8	29	29	2
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	2046	2088	5	2327	2032	1	2902	3090	40	624	575	0	676	647	0	773	807	9
20	पंजाब	165	97	4	200	96	6	162	69	11	4	1	0	0	0	0	0	0	0
21	राजस्थान	7017	3328	572	7524	3726	583	8752	4031	631	1878	918	114	2121	950	125	2521	1109	183
22	सिक्किम	0	0	0	2	1	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	4	1	0
23	तमिलनाडु	1273	968	129	1376	1049	104	1761	1296	138	23	14	0	39	18	0	67	59	0
24	तेलंगाना	1959	1534	13	1770	1550	30	1787	1979	44	573	407	2	512	505	7	545	575	18
25	त्रिपुरा	2	0	0	3	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0

26	उत्तर प्रदेश	12714	10489	1820	13146	11358	1930	15368	12996	3168	3	3	1	4	3	0	5	4	0
27	उत्तराखंड	87	64	0	123	87	0	114	99	0	13	11	2	6	4	0	1	1	0
28	पश्चिम बंगाल	109	128	0	108	122	0	104	123	0	90	69	0	92	73	0	90	101	1
	कुल राज्य	50191	39067	3240	50733	41610	3640	57420	45705	5629	8266	6476	347	8787	7174	548	10055	8052	901
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	4	0	3	3	0
30	चंडीगढ़	3	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	5	4	0
32	दिल्ली	69	59	0	136	100	0	130	99	0	1	3	0	5	3	0	0	1	0
33	जम्मू-कश्मीर	4	0	0	3	2	0	6	3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	7	6	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	77	60	1	146	109	0	149	110	0	4	7	0	12	8	0	9	10	0
	कुल (अखिल भारतीय)	50268	39127	3241	50879	41719	3640	57569	45815	5629	8270	6483	347	8799	7182	548	10064	8062	901

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध

******